फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

मूर्ति मन्दिर श्री रघुनाथ जी बनाम नरेन्द्र वगै0

किस्म मुकदमा–दावा मु0नं0– 59/2011

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.12.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में माफी मन्दिर भूमि से बेदखली अनुतोष चाहा गया है जो कि प्रथम दृष्टया 183 रा0का0अ0 के तहत पोषणीय नहीं है। माफी मन्दिर भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में तहसीलदार स्तर से धारा 91 एल.आर.ए. के तहत अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए यह वादपत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही पोषणीय नहीं है इसलिए इस न्यायालय को प्रकरण के गुण दोष में प्रवेश करने या विस्तृत सुनवाई/साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। अतः दावा वादी खारिज किया जाता है। यह आदेश वादी को सक्षम प्राधिकारी/उचित मंच पर विधि अनुसार उपाय ग्रहण करने से वंचित नहीं करेंगा। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	